न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/24/2022	2022/261	06.06.2022	18.11.2022

उनवान

1. सगरो देवी पत्नी सूरजभान यादव जाति अहीर निवासी ग्राम कारोड़ा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0। —अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार बहरोड़, जिला अलवर राज0।

—असल रैस्पोडेन्ट

2. बबलू देवी पत्नी जलेसिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम कारोड़ा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0।

—तरतीबी रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश तहसीलदार बहरोड़ का निर्णय दिनांक 16.12.2004 नामान्तकरण संख्या 447 वाके ग्राम कारोड़ा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0

उपस्थितः—

01. श्री जनार्दन शर्मा —वकील अपीलान्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बहरोड़ के आदेश दिनांक 16.12.2004 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 447 वाके ग्राम कारोड़ा तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0 जिसे बेजा तौर पर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। वकील अपीलांट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 26.05.2022 को हुई। जब अपीलांट पटवारी हल्का से केडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पहुंचा। जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा वकील साहब से राय कर नियत अवधि में अन्दर मियाद अपील पेश की गयी है। पृथक से दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र पेश किया गया है। मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2058 आराजी खसरा नम्बर 103 रकबा 0.64 वाके ग्राम कारोड़ा तहसील बहरोड जिला अलवर में से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार मिश्रीलाल था। जिसने अपनी कब्जे काश्त की आराजी मिन अपीलांट को 1/2 हिस्से में से 2/3 हिस्सा व तरतीबी रैस्पो0 को 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिफल की राशि प्राप्त कर विक्रय कर दिया। वर्तमान में मौके पर मिन अपीलांट व तरतीबी रैस्पो0 का कब्जा चला आ रहा है। उक्त बयनामा के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा इंतकाल सं0 447 भरकर तहसीलदार द्वारा तस्दीक किया गया। मिन अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से में से 2/3 हिस्सा व तरतीबी रैस्पो0 ने 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा खरीद किया है। इसलिए इंतकाल की उक्तानुसार ही स्वीकार किया जाना चाहिए था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इंतकाल बयनामें के आधार पर तस्दीक नहीं कर अपीलांट के हक में 1/2 हिस्से में से 1/2 व तरतीबी रैस्पो0 के हक में 1/2 हिस्से में से 1/2 हिस्सा तस्दीक कर दिया। जो इंतकाल विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है।

जिला कलक्टर, अलवर

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.12.2004 इंतकाल सं0 447 वाके ग्राम कारोड़ा तहसील बहरोड़ को निरस्त किया जाये एवं उक्त रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 19.06.2004 के आधार पर इंतकाल अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पो0 के नाम दर्ज व तस्दीक किये जाने के आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील अपीलान्ट पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.12.2004 के विरूद्ध दिनांक 06.06.2022 को पेश की गयी है। जो करीब 17 वर्ष 6 माह बाद पेश की गयी है। देरी की अवधि को कंडोन करने हेतु अपीलांट द्वारा दिन–प्रतिदिन का ब्योरा दिया जाना आवश्यक है। किन्तु अपीलांट द्वारा उक्त संबंध में कोई ब्योरा पेश नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा पेश प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड सहित भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली बाद तकमील दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, अलवर
(राजस्थान)